भारत में फिल्म शूटिंग के दिशा-निर्देश

विदेशियों द्वारा आंशिक अथवा पूर्णरूप से फ़ीचर फिल्मों की शूटिंग संबंधी दिशा-निर्देश

टेलीविजन/मूवी फ़ीचर फिल्मों की शूटिंग संबंधी प्रस्तावों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में कार्रवाई की जाती है। प्रस्ताव सीधे ही भेजे जा सकते हैं या विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के माध्यम से जमा कराए जा सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सिफारिशों पर ही अन्य मंत्रालय फिल्म यूनिटों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। वृत्तचित्र (डॉक्युमेंटरी फिल्म) फिल्मों की शूटिंग के प्रस्ताव विदेश मंत्रालय, (विदेशी प्रचार खंड), शास्त्री भवन, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिए।

पटकथा की पूर्व-स्वीकृति

शूटिंग की स्वीकृति के लिए शूटिंग की विस्तृत पटकथा की चार प्रतियां संक्षिप्त सार के साथ जमा करनी होंगी। यदि फिल्म में किसी जीवित व्यक्ति को पात्र के रूप में दिखाया गया है तो संबंधित व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र पटकथा के साथ भेजा जाना चाहिए। यदि फिल्म सह-निर्माण में बनाने का प्रस्ताव हो तो भारतीय और विदेशी भागीदार दोनों ही भूमिकाओं, दायित्वों और ज़िम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

शूटिंग की तारीख़ से कम से कम एक महीने पहले, फिल्म टीम के सदस्यों की संख्या, उनके पासपोर्ट की वैध तारीख़ों की संख्या, पासपोर्ट जारी करने वाले देश, राष्ट्रीयता,

स्थायी और अस्थायी पता, फिल्म टीम के भारत में अस्थायी प्रवास के कार्यक्रम के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास विस्तृत विवरण भेज दिया जाना चाहिए।

पटकथा की मंजूरी तथा फिल्म निर्माता का वचनबंध

पटकथा और प्रस्ताव में उल्लिखित अन्य विवरण की जांच के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय फिल्म की शूटिंग की मंजूरी देगा लेकिन इसके लिए प्रक्रिया संबंधी कुछ शर्तें हैं जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है। इन शर्तों के पालन का औपचारिक वचनबंध (जैसा कि संलग्नक में है) भेजने के बारे में सूचना देने में करीब 10-12 सप्ताह का समय लग जाता है।

शूटिंग की स्वीकृति से जुड़ी शर्तें :-

(अ) फिल्म की शूटिंग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पटकथा के अनुरूप होनी चाहिए। यदि इसमें कोई फेरबदल करना आवश्यक हो तो पहले भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) की अनुमति लेनी होगी।

(ब) पूरी शूटिंग एक संपर्क अधिकारी की उपस्थिति में होगी जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। संपर्क अधिकारी फिल्म टीम को शूटिंग के लिए स्थानीय निकाय से अनुमति दिलाने में मदद करेगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारत और भारतीय जनता की छवि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई दृश्य फिल्म में शामिल नहीं किया गया है। इस बारे में यदि कोई मतभेद उभरता है तो मामला सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास भेजा जाएगा और उसका निर्णय ही अंतिम होगा। संपर्क अधिकारी फिल्म टीम के साथ यात्रा करेगा और ठहरेगा।

(स) भारतीय क्षेत्रों में शूटिंग की अनुमति संबंधित नियंत्रक निकायों की शर्तों पर दी जाएगी। लेकिन अनुमति लेने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से ही आवदेन दिया जाएगा।

यदि शूटिंग के संबंध में विदेश मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय की सहायता की आवश्यकता होती है तो इन मंत्रालयों द्वारा निर्धारित अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऐसी किसी भी सहायता के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से आवेदन किया जाएगा।

जिस फिल्म की शूटिंग में सशस्त्र सेनाओं की सहायता ली गई हो उसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए जारी करने से पहले रक्षा मंत्रालय को दिखाया जाना होगा और उसकी स्वीकृति लेनी होगी। यह शर्त नीचे पैरा-9 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त है।

फिल्म निर्माता को शूटिंग के संबंध में आयात-निर्यात और विदेशी मुद्रा विनिमय के सभी नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।

फिल्म या उसके अंशों को देश से बाहर कार्गो के रूप में भेजा जाएगा न कि सामान के तौर पर।

फिल्म को प्रदर्शन के लिए जारी करने से पहले की स्वीकृति

तैयार फिल्म को विश्व में कहीं भी प्रदर्शन के लिए जारी करने से पहले भारत में भारत सरकार के प्रतिनिधि को तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों को दिखाना होगा। यदि विदेश

में किसी भारतीय दूतावास को फिल्म दिखाने का प्रस्ताव हो तो निर्माता द्वारा दाखिल वचनबंध में दूतावास के नाम की अग्रिम सूचना देनी होगी।

सह-निर्माण के मामले में विदेशी मुद्रा जारी करने की शर्त:

(अ) जहां भारतीय सह-निर्माता को विदेशी मुद्रा में खर्च करने का मामला हो, तो उसे बैंक गारंटी देनी होगी कि जितनी विदेशी मुद्रा उसे जारी की गई है उसकी दुगनी राशि उसे लौटानी होगी। यह राशि भारत में विदेशी सहयोगियों, तकनीशियनों, कलाकारों आदि को दी जाने वाली राशि के बराबर होनी चाहिए।

विदेशी मुद्रा जारी करवाने के लिए भारतीय सह-निर्माता को विदेश से आए फिल्म टीम के सदस्यों का पूर्ण विवरण, शूटिंग के दिनों की संख्या तथा विदेशी मुद्रा में होने वाले अनुमानित खर्च के क्रमवार ब्यौरे के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संपर्क करना होगा।

(ब) विदेशी सह-निर्माता को भारत में फिल्म के प्रदर्शन से अर्जित आय या मुनाफे की कोई रकम नहीं दी जाएगी।

....